

Participants : [Mehta Shri Alok Kumar](#)

an>

Title: Need to direct the Insurance Companies to extend insurance facility to farmers for fruits and vegetables stored in cold storage.

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश में लगभग 50 हजार करोड़ रुपए की फल और सब्जियां संरक्षण में कमी और अपर्याप्त वितरण व्यवस्था की वजह से बर्बाद होती हैं। देश में आलू सहित अन्य सब्जियां एवं फल शीतगृहों में संरक्षित किए जाते हैं। किसानों की आलू की फसल का इंश्योरेंस तो कम्पनियां करती हैं, लेकिन अन्य फल और सब्जियों का इंश्योरेंस नहीं किया जाता। देश के कतिपय शीतगृहों में सब्जियों के सड़ने और इंश्योरेंस न होने की वजह से किसानों को मुआवजा या क्लेम नहीं मिलने की शिकायतें आती रही हैं। ऐसी जगहों पर भंडारण के बजाय औने-पौने दाम पर सब्जी उत्पादक अपने उत्पाद को बेच देते हैं और इस कारण उनके द्वारा लगाई गई पूंजी भी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अतः सरकारसे मांग करता हूं कि इंश्योरेंस कम्पनियों को निर्देश जारी करे कि आलू के अलावा भी अन्य फल और सब्जियों पर, जो शीतगृह में संरक्षित की जाती हैं, बीमा का प्रावधान करे।

श्री संतो गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

MR. SPEAKER: Shri Santosh Gangwar. You are occupying a different seat. Very well, I will allow you. You are not in your seat.

SHRI SANTOSH GANGWAR : I am sorry, Sir.

MR. SPEAKER: Thank you for your cooperation.